महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-39/2026/622/2026/12-5099/21/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कृषि अनुभाग-5 **खनऊ: दिनांकः 15 जून, 2026**

विषयः- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ''खेत बचाओ अभियान'' के साथ माह जून, 2026 में सैचुरेशन ड्राइव(Saturation Drive) चलाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र भू-स्वामी किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से रु 6,000/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पत्रांक-DO No. 12-10/2023-FWS दिनांक 02.06.2026 (संलग्न) के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी पात्र भूमिधारक किसानों को पूर्ण लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से माह जून, 2026 में विशेष संतृप्तिकरण अभियान चलाये जाने के निर्देश है, जिसमें मुख्यत: निम्न बिन्दुओं पर अपने जनपद /मण्डल के योजना के लाभ से अवशेष कृषकों के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए लाभ दिये जाने हेतु निम्नवत निर्देशों दिये जा रहे हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा "खेत बचाओ अभियान" के अंतर्गत दिनांक 01 जून, 2026 से संतृप्तिकरण अभियान (Saturation Drive) चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र कृषक परिवारों को योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही को पूर्ण करना है। इसके लिए लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों जैसे भूमि अंकन (Land Seeding), आधार सीडिंग और eKYC को शीघ्र पूरा किया जाएगा।
2. उक्त के साथ ही जनपदों से अपेक्षित है कि वे लंबित भौतिक सत्यापन, स्व-पंजीकरण, विभिन्न श्रेणियों में सत्यापन हेतु लंबित प्रकरणों, किसान आईडी निर्माण का कार्य भी पूर्ण करें।
3. इसी प्रकार जीरो पॉवर्टी के अन्तर्गत चिन्हित पात्र कृषक परिवारों को पी०एम० किसान योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही को भी अभियान में शत् प्रतिशत् पूर्ण किया जाये।
4. यह संतृप्ति अभियान जून, 2026 के अंत तक के लिए संचालित होगा। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारियों (VNOs) को लाभार्थी कृषक परिवारों से संपर्क करने, प्रकरणों के सत्यापन करने एवं सुधार कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए नामित किया जाए।
5. अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकासखण्डों/तहसील स्तरीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सतत् मॉनिटरिंग की जाए।

6. संतृप्तिकरण अभियान के संचालन में होने वाले व्यय, जिसमें क्षेत्रीय गतिविधियाँ (Field Activities) तथा जन-जागरूकता एवं संपर्क (Outreach) गतिविधियों शामिल हैं, जनपदों को आवंटित प्रशासनिक व्यय (Administrative Expenses) से वहन किए जा सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2026/622(1)/2026/12-5099/21/2023, तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को पत्र सं०-DO. No.12-10/2023-FWS, दिनांक 02 जून, 2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, कृषि विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, भू०सं०/योजनाधिकारी, पी०एम० किसान योजना, उ०प्र० कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।(द्वारा कृषि निदेशक, उ०प्र०।)
7. समस्त जनपदों के सम्बन्धित अधिकारीगण।(द्वारा कृषि निदेशक, उ०प्र०।)
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

सं० - 48/12-5-2026

अविनाश लवानिया, भा.प्र.से.
निदेशक, किसान कल्याण
AVINASH LAVANIA, I.A.S.
Director, Farmers Welfare

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare

D.O. No. 12-10/2023-FWS

Date: 02nd June 2026

Dear,

As you are aware, PM-KISAN, a flagship scheme of the Government of India, was launched in February 2019, by the Hon'ble Prime Minister to provide financial assistance of Rs. 6,000/- per year to eligible land-holding farmers directly to their Aadhaar-linked and DBT enabled active bank accounts. So far, more than Rs. 4.2 lakh crore have been transferred in 22 instalments.

2. I would like to bring to your kind attention that sustained efforts have been undertaken in the past to ensure the inclusion of all eligible farmers under the PM KISAN scheme. These efforts have focused on fulfilling mandatory requirements such as Land Seeding, Aadhaar Seeding & eKYC and completion of pending physical verification, self-registration, pending for verification and creation of Farmer IDs. However, despite these concerted initiatives, a section of farmers still remains ineligible for the scheme.

3. Therefore, as part of the "Khet Bachao Abhiyaan" the Ministry has proposed a saturation drive commencing from 1st June 2026, with the objective of ensuring complete coverage of all eligible farmers by expediting the completion of **pending mandatory requirements such as Land Seeding, Aadhaar Seeding, and eKYC**. Through this saturation drive the states are also requested to complete the pending **physical verification, self-registration, cases pending for verification under various categories, and creation of Farmer IDs**. The saturation drive shall take place for a period of one month ending June 2026.

4. I request your kind intervention to designate the concerned Village Level Nodal Officers (VNOs) under the Scheme for beneficiary outreach, verification, and facilitation, Block/Sub-District Officers for support and overall monitoring at the District & State/UT level to ensure that this drive is implemented in a mission mode across the State/UT along with Khet Bachao Abhiyaan.

5. It may also be noted that the expenditure for conducting the saturation drive, including field activities and outreach efforts, may be met from the Administrative Expenses as allocated to the States/UTs.

6. Anticipating your kind support and expeditious action in the same

With regards,

सूखा 3० आ
05.6.26

Yours sincerely,

Additional CS/ Pr. Secretary (Agriculture/Revenue)

All States/UTs

Copy to:

1. PPS to AS(FW)
2. PPS to JS(FW)